



आधुनिक भारत में नारियों की सामाजिक स्थिति का ऐतिहासिक विवेचन

डॉ. संतोष कुमारी ¹

¹ एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, बावड़ी (जोधपुर)

ABSTRACT:

अठारहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने के कारण सम्पूर्ण देश में जो राजनीतिक उथल-पुथल हुई, उसने नारी की पतनोन्मुख दशा को और भी अधिक शोचनीय बना दिया। अधिकांश महिलाएँ उन मूक पशुओं के समान थीं, जिनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता था और जो अत्याचार किये जाने पर भी आवाज नहीं उठा सकती थीं। पश्चिमी सेनगुमा के अनुसार- “इस उपमहाद्वीप के इतिहास में अंग्रेजों के शासनकाल में नारियों की स्थिति अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गई थी।

सदियों की सामाजिक संकीर्णता तथा कुरीतियों ने नारी की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया, जो निश्चित रूप से समाज के संकुचित दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। समाज में बालिका बध, बाल-विवाह, सती-प्रथा, बहु-विवाह, अनमेल विवाह, विधवाओं की दुर्दशा, स्त्री-शिक्षा के प्रति उदासीनता आदि कुप्रथाओं ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली थीं। ये मान्यताएँ केवल रूढ़ियाँ ही नहीं बनी, अपितु उनके प्रति धार्मिक आस्था भी विद्यमान हो गयी थी क्योंकि इस सदी के भारतीय समाज में अनेक लोकाचार तथा कुरीतियाँ धर्म के नाम पर जुड़ गयीं थीं। जिनके कारण महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। तत्पश्चात् राजा राममोहन राय तथा अन्य चिंतकों, समाज सुधारकों के कारण भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया एवं उनके जीवन में जागरण का, क्रांति का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। अस्तु वर्तमान समाज में महिलाओं की स्थिति में विशेष परिवर्तन परिलक्षित होने लगे जो उनके जीवन को एक नवीन स्वरूप देने में सार्थक सिद्ध हुए।

KEYWORDS:

आधुनिक भारत, नारी, सामाजिक स्थिति, ऐतिहासिक विवेचना

आलेख प्रस्तुति

उन्नीसवीं शताब्दी सांस्कृतिक जागरण के दृष्टिकोण से विद्रोह का युग स्वीकार की जाती है। इस काल में मध्ययुगीन विचारधारा का खण्डन किया गया और नवीन विचारधाराओं ने जन्म लिया। जिसने जीवन के प्रति दृष्टिकोण में महान परिवर्तन प्ररिलक्षित किया। इसने भारत की तत्कालीन जड़ता को समाप्त करने का प्रयास किया और जीवन को झकझोर दिया। सांस्कृतिक जागरण का प्रारम्भ आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के सम्पर्क से हुआ और जिसका कारण था मध्ययुगीन भारतीय सामंतों की निष्क्रियता, जो यूरोपीय औद्योगिक पूंजीवाद सभ्यता की उच्चता से प्रकट हो गई थी। रेल, तार आदि वैज्ञानिक साधनों के प्रचार से सामाजिक संगठन की सीमा विस्तृत हो गई।

समाज सुधारकों ने धर्म समाज एवं संस्कृति को समायुक्त आधुनिक रूप देने का प्रयत्न किया। भारतीय नारी जो सदियों से पुरुष प्रधान समाज की स्थितियों के कारण पिछड़े वर्गों में गिनी जाती थी, प्रायः प्रत्येक सुधार आन्दोलनों का आधार बनी। उन्नीसवीं शताब्दी का काल इतिहास में भारतीय नारी को सभी प्रकार के सामाजिक बन्धनों से मुक्ति प्रदान करने और समानता का अधिकार देने का स्वर्ण काल था। वस्तुतः उन्नीसवीं सदी की इस सामाजिक, राजनैतिक जागरूकता का भारतीय नारी के सामाजिक अवमूल्यन पर जनमानस को गम्भीरता से विचार करने के लिए प्रेरित किया।

आर्य समाजियों ने नारी की प्रस्थिति को उन्नत बनाने का प्रयास किया। आर्य समाज के सक्रिय होने से पूर्वी पंजाब में अत्यल्प संख्या में ही महिलाओं ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की। स्त्री शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा बाल-विवाह थी, जिसका इन्होंने जबरदस्त विरोध किया। 'सत्यार्थ प्रकाश' में बाल-विवाह को प्रतिबन्धित किया गया। रामकृष्ण मिशन उन्नीसवीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक संस्थान था। यह केवल स्त्री शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि चिकित्सीय कार्य और बाढ़ अकाल राहत कार्य भी किया। स्वामी विवेकानन्द स्त्री जाति को उच्चतर प्रस्थिति प्रदान करना चाहते थे। नारी के उत्थान को धर्म और अध्यात्म के बाद प्रथम स्थान देते थे। “जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट होता है- “वह देश तथा राष्ट्र न तो कभी महान रहा है, न भविष्य में होगा, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता.. यदि तुम देवी माँ के जीवित सप्राण मूर्तिमान रूप स्त्री को ऊँचा नहीं उठा सकते, तो यह मत सोचो कि तुम अन्य प्रकार से उन्नति कर सकते हो।

राजा राम मोहन राय दयानन्द सरस्वती आदि ने उस सामान्य नारी की व्यथा का अनुभव

किया, जिसके पास अधिकार के नाम पर दासता थी और कर्तव्य के नाम पर प्राण दान ईश्वर चन्द विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करके कट्टर रूढ़िवादिता का विरोध करते थे। बम्बई प्रेसीडेंसी में भी विधवा विवाह के पक्ष में जनमत तैयार हुआ। ज्योतिबा फूले, बहरामजी मालाबारी और महर्षि कर्वे विधवा-विवाह के प्रबल समर्थक रहे हैं। प्रारम्भ में कम्पनी सरकार ने रूचि नहीं ली। किन्तु ब्रह्म समाज एवं ईश्वर चन्द विद्यासागर द्वारा निरन्तर की जा रही मांगों के कारण सरकार को विवश होकर जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करना पड़ा।

बाल विवाह एक ऐसी कुरीति थी जिसके द्वारा उत्तरोत्तर बाल विधवाओं की संख्या बढ़ रही थी क्योंकि बाल मृत्यु दर यहाँ अधिक थी। ईश्वर चन्द विद्यासागर के प्रयास से सहमति की आयु बढ़ाकर 1860 के अधिनियम द्वारा 10 वर्ष कर दी गयी। हालांकि 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ शारीरिक सम्बन्ध निषिद्ध कर दिया गया। 1872 में केशव चन्द सेन ने शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कानून बनाने के लिए निवेदन किया जिसके परिणाम स्वरूप 1872 का सिविल मैरिज एक्ट पारित हुआ, जो हिन्दुत्व और इस्लाम और किसी भी अन्य धर्मों के दायरे के बाहर के व्यक्तियों पर भी लागू होता था। इस अधिनियम के द्वारा बहु विवाह तथा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 18 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ विवाह को निषेध करने तथा अन्तर्जातीय विवाह एवं विधवा विवाह की स्वीकृति प्रदान की गयी।

समाज सुधारकों के अथक परिश्रम का यह परिणाम रहा कि जो नारी सामाजिक समारोह के रूप सती होकर आत्महत्या करने के लिए विवश थी, वही अब उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में सामाजिक रंगमंच पर आकर अपनी समस्याओं का चिन्तन करके स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने लगी थी। उन्नीसवीं सदी के नवजागरण काल में प्रारम्भ हुए धार्मिक व सामाजिक सुधार आन्दोलनों के फलस्वरूप समाज में चेतना का संचार हुआ। व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। इस दृष्टिकोण और नवीन मान्यताओं के विकास की प्रक्रिया बीसवीं शताब्दी में भी व्याप्त रही महिलाओं की चेतना ने उन्हें इस स्थिति में पहुँचा दिया, जहाँ वे अपनी दयनीय दशा से मुक्ति का आन्दोलन प्रारम्भ कर सकती थीं तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के जटिल बन्धनों को तोड़कर राष्ट्रीय धारा में स्वयं को समाहित करते हुए गौरव, पद, सम्मान तथा शक्ति प्राप्त कर सकती थीं। उन्नीसवीं सदी में जो प्रयास

किये गये और जो इसके परिणाम आये, उससे इस काल को नारी जागरण के काल के रूप में जाना जा सकता है।

बीसवीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए स्त्रियों ने स्वयं नारी जागृति का प्रयास किया और अपने उत्तरदायित्वों को समझा और उन संगठनों की स्थापना की जिनका प्रमुख उद्देश्य था स्त्रियों को शिक्षित करना और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। यद्यपि यह अभिव्यक्ति सम्पूर्ण समाज के महिलाओं की नहीं थी, तथापि उनमें से ही कुछ ने समान सामाजिक, राजनैतिक अधिकारों की इच्छा को सशक्त ढंग से व्यक्त किया तथा पितृसत्तात्मक संस्कृति के विरोध में अपना स्वर मुखरित किया। इस सदी के प्रथम 40-50 वर्षों को नारी जागरण का युग कहा जा सकता है। इस अवधि में नारी ने अपनी सामाजिक पराधीनता और देश की राजनीतिक पराधीनता को बेड़ियों को काट फेंकने के लिए संघर्ष किया और अपने लिए एक लक्ष्य एक मार्ग निर्धारित किया।

उन्नीसवीं शताब्दी में समाज सुधारकों के लिए नारी समस्या मुख्यतः सामाजिक प्रथाओं एवम् रीति-रिवाजों, बाल-विवाह, बाल-विधवा, सती, स्त्री शिक्षा जैसे मुद्दों का मिश्रण था। मालाबारी ने बम्बई में 'सेवा सदन नामक संस्था स्थापित की, जिसके माध्यम से वे महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते रहे कांदाकुरी वीरसांगलिंगम पानलुलु (1848-1919), वेंकटरत्नम नायडू ने देवदासी प्रथा का विरोध किया। महाराष्ट्र में निम्न जाति की लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल सन् 1873 में ज्योतिबा फुले एवं सावित्री बाई फुले द्वारा खोला गया, जिन्होंने ब्राह्मणों एवं धर्मग्रंथों की सत्ता पर प्रश्नचिन्ह खड़े किये। सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी' की स्थापना की और इसके प्रमुख उद्देश्यों में महिला शिक्षा को शामिल किया। दीनबन्धु प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने ब्राह्मण विधवाओं के मुण्डन की प्रथा को बंद करवाया। माइकल मधुसूदन ने वेश्याओं को थियेटर की नायिका बनाकर समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि, आधुनिक काल में नारी की सामाजिक स्थिति उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती चली गई। उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन तेजी से परिलक्षित होने लगे। नारी के प्रति किए गए विभिन्न आंदोलनों ने नारी के हृदय में एक नए विश्वास, शक्ति और जागृति को उत्पन्न किया। जिसके कारण उसने विभिन्न क्षेत्रों में अपने बौद्धिक बल का परिचय देना प्रारंभ कर दिया। गाँधी द्वारा पुरुषों की अपेक्षा नारी की नैतिक सर्वोच्चता पर बल देने नारी की परम्परागत हीन भावना की छाप को मिटाने तथा उनमें एक नया आत्मविश्वास जगाने में सहायता की। विभिन्न महिलाओं ने पैतृक व्यवस्था पर आधारित पुरुष प्रधान सामाजिक मूल्य व्यवस्था को चुनौती देनी आरम्भ कर दी। इस नये वैचारिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण पहलू था पुरुष-स्त्री वैवाहिक सम्बन्धों की पुनर्व्याख्या। पति-पत्नी सम्बन्धों में नारी पत्नी के अधिकारों (विशेषतः बहुविवाह के सन्दर्भ में) के प्रति जागृत होने लगी। कई स्त्रियों ने पत्नी के तलाक के अधिकार का समर्थन किया। इसके अलावा पति-पत्नी की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की मांग भी उठी अर्थात् परिवार के प्रति गृहस्थी चलाने के लिए पति-पत्नी के समान अधिकार तथा कर्तव्य हैं। नारी के व्यक्तिगत विकास पर लगे प्रतिबन्धों के विरुद्ध भी आवाज उठाई गई। अस्तु आधुनिक काल नारी के उत्थान का काल कहा गया है, जिसमें उसका चरमोत्कर्ष परिलक्षित होता है। समाज में उसकी उन्नत स्थिति के दर्शन होते हैं। उसके शैक्षिक सांस्कृतिक स्वरूप का सौंदर्य परिलक्षित होता है। अतः नारी का आधुनिक भारत में सामाजिक स्थान अत्यधिक सुधार पूर्ण रहा है।

REFERENCES

1. British paramountcy and Indian Renaissance, R. C. Majumdar Voll-2 Bhartiya Vidya Bhavan, 1963.
2. Cambridge History of India, H. H. Dodwell, Voll- IV.
3. British paramountcy and Indian Renaissance, R. C. Majumdar Voll-2 Bhartiya Vidya Bhavan, 1963.
4. The Pupil of India, Herbert Risseley, Kolkata, 1988.
5. The Rise and growth of Economic Nationalism in India, Bipin

Chandra.

6. The Social Background of Indian Nationalism, A. R. Desa.
7. Women and status of women in Indian Society, K.L.M.Pharma, Kolkata, 1979.
8. Modern Religions Movements in India, J. N. Farkuher, Munshiram Manoharlal, New Delhi, 1998.
9. Twenty Years Indian Progress, John Mordok.
10. Women in India: Past and Present, Rekha Pandey and Neelam Uppadhyay, Delhi, 1990.
11. Women in India and Abroad, Laxmi Menon.
12. भारतीय नारी दशा और दिशा, आशाराणी बोहरा।